

The question was put and the motion was adopted.

श्री रमा शंकर कौशिक (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, पहले तो मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि माननीय कृषि मंत्री जी नहीं हैं । ... (व्यवधान)...

श्री संघ प्रिय गीतम (उत्तरांचल): फूड एंड सिविल सप्लाइज मिनिस्टर हैं ।... (व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य : नॉट एग्रीकल्चर । ... (व्यवधान)...

श्री संघ प्रिय गीतम : कंज्युमर अफेयर्ज हैं और यह लिस्ट में लिखा हुआ है । मंत्री जी, यहाँ उपस्थित हैं । ... (व्यवधान)...

श्री सभापति : आप किससे जवाब सुनना चाहते हैं ?

श्री रमा शंकर कौशिक : मैं तो सरकार से जवाब सुनना चाहता हूँ ।... (व्यवधान)...

श्री सभापति : क्या आप किसी और मंत्री से जवाब सुनना चाहते हैं ।

श्री रमा शंकर कौशिक : नहीं ।

श्री सभापति : तो फिर आप बोलिए । ... (व्यवधान)...

श्री रमा शंकर कौशिक : श्रीमन्, मैं तो सरकार से ही जवाब सुनना चाहता हूँ, लेकिन आम तौर पर यहाँ पर मंत्रीगण यह कह देते हैं कि यह फलां मंत्री से संबंधित है ।

श्री सभापति : नहीं, यह नहीं बोलेंगे, यह मैं आपको गारंटी से कहता हूँ ।

श्री रमा शंकर कौशिक : धन्यवाद । ... (व्यवधान)...

श्री सभापति : आप तो बोलिए ।

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE PROBLEMS OF SUGARCANE GROWERS

श्री रमा शंकर कौशिक (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से गन्ना उत्पादकों की समस्याओं के संबंध में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूँ ।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव) : सभापति जी, शूगर इंडस्ट्री आज क्राइसेस में है । पिछले तीन साल से इस इंडस्ट्री के कैरी ओवर स्टॉक में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है । पिछले शूगर सीजन की समाप्ति पर इंडस्ट्री के पास लगभग 100 लाख टन का कैरी ओवर स्टॉक था । इस चालू शूगर सीजन के अंत में यह कैरी ओवर स्टॉक लगभग 80 लाख टन होगा । दूसरी ओर, फ्री सेल शूगर की कीमतों में पिछले कुछ महीनों में कमी आई है कैरी ओवर स्टॉक बढ़ने से और कीमतों के कम होने से शूगर इंडस्ट्री की गन्ना कीमत देने की क्षमता में कमी आई है । 30.9.2002 की स्थिति के अनुसार लगभग 1100 करोड़

रुपये के गन्ना मूल्य के बकाया होने का अनुमान है। गन्ना किसानों की कठिनाई को कम करने के लिए सरकार ने एक वर्ष की अवधि के लिए 20 लाख टन शूगर का बफर स्टॉक बनाने का निर्णय किया है जिसकी घोषणा मैं इस सदन में 26 नवंबर को कर चुका हूँ। इसमें शूगर डिवेलपमेंट फंड में 412 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा बैंको द्वारा 374 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि रिलीज की जाएगी। कुल मिला कर 786 करोड़ रुपये मिलेंगे जो कि किसानों को मिलेंगे। हमने कानूनी व्यवस्था कर ली है कि यह धनराशि सिर्फ गन्ना किसानों को उनका गन्ना मूल्य बकाया को अदा करने के लिए इस्तेमाल की जाए। सरकार ने शूगर के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं जिनका उल्लेख मेरे स्टेटमेंट में कर दिया गया है। जो अभी हाल ही में कदम उठाया है उसमें एक्सपोर्ट करने वाली शूगर फैक्ट्रीज को उनकी फैक्ट्री से पोर्ट तक भाड़ा शूगर डिवेलपमेंट फंड में से दिया जाएगा। हमने यह भी निर्णय किया है कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। जहां तक गन्ना मूल्य का सवाल है मैं यह कहना चाहूंगा कि भारत सरकार सी.एस.सी.पी. की सिफारिश पर गन्ने का एस.एम.पी. निर्धारित करती है। कुछेक राज्य सरकारों जिनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, स्टेट एडवाइज्ड प्राइस घोषित करती है। उत्तर प्रदेश में कई सालों से एस.एम.पी. से गन्ना मूल्य का भुगतान होता रहा है। इस बार अदालती आदेशों की वजह से यू.पी. में शूगर मिलें एस.एम.पी. से गन्ना मूल्य देने में अभी असमर्थ हैं, क्योंकि यह मामला अदालत में विचाराधीन है। यह एक पेचीदा मसला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें बताया है कि 30 नवम्बर तक 101 शुगर मिलों में से 54 शुगर मिल्स चालू हो चुकी हैं और इस माह की 15 तारीख तक सभी शुगर मिल्स चालू हो जाएंगी, ऐसी सूचना हमें प्राप्त हुई है।

श्री सभापति : श्री रमा शंकर कौशिक। इस कॉलिंग अटेंशन पर चर्चा प्रारंभ हो, मैं पहले यह स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि उसमें मेंबर्स या तो क्लैरीफिकेशन पूछ सकते हैं या क्युश्चन कर सकते हैं, डिबेट नहीं होगी।

श्री रमा शंकर कौशिक : यह तो ठीक है, लेकिन क्लैरीफिकेशन के लिए भी तो बोलना होगा।

श्री सभापति : आप क्लैरीफिकेशन पूछिए।

श्री रमा शंकर कौशिक : श्रीमन्, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के राज में गत वर्षों से आम तौर पर पूरे देश का किसान परेशान है, लेकिन मैं अपने को केवल गन्ना उत्पादकों तक सीमित रखूंगा। महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने बयान में बताया है कि देश पर चीनी का संकट आया था और इस कारण यह दुर्गति हुई है। श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से पिछले एक महीने से जबर्दस्त आंदोलन होता रहा है जिसके तहत हजारों लोग गिरफ्तार किए गए और विरोधस्वरूप किसानों ने सैकड़ों क्विंटल गन्ना, सरकार की नीतियों के विरोधस्वरूप, फूंक दिया। श्रीमन्, मैं यह निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि यह चीनी से संबंधित जो संकट है, लेकिन गन्ना उत्पादकों पर जो संकट आया है, वह केवल सरकारी मशीनरी, मिल-मालिकों की साजिश और इसमें सरकार की शह के कारण यह स्थिति पैदा हुई है कि आज गन्ना किसान दर-दर भटक रहा है। श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने बताया कि सारी चीनी मिलें चलने को तैयार हैं और चलने लगी होंगी, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में अभी सभी चीनी मिलें चालू नहीं हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में 110 चीनी मिलें हैं और हमारे यहां 1164 लाख मीट्रिक टन गन्ना होता है जिससे 44 लाख मीट्रिक टन चीनी बनती है। लेकिन आज हमारे प्रदेश का किसान अपने गन्ने को 45 रुपए क्विंटल के भाव से बेचने को मजबूर है।

श्रीमन्, सीजन को शुरू हुए सवा महीना हो गया है, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें नहीं चली हैं। वहां 110 मिलों में से 10 तो पिछले साल सरकार ने अनुमति देकर बंद करवा दी और 9 की तैयारी है। आज भी बाकी बची चीनी मिलों में से कई मिलें ऐसी हैं जो अभी तक नहीं चली हैं। सभापति महोदय, हमारे यहां विशेष रूप से, निजी चीनी मिलें हैं, निगम की हैं और सहकारी भी हैं। उनमें सहकारी और निगम की जो मिलें हैं, उनके ऊपर सरकार का ही पूरा नियंत्रण है। इसके अलावा हमारे यहां इस प्रकार की चीनी मिलें नहीं हैं जिस प्रकार की महाराष्ट्र या हमारे दक्षिण भारत के दूसरे सूबों में चलती हैं। हमारे यहां पूरे तौर पर सरकार का नियंत्रण है और मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा नियंत्रित चीनी मिलें ही अभी तक नहीं चली हैं। कुछ निजी चीनी मिलें भी नहीं चली हैं। श्रीमन्, इस संकट के कारणों में से एक 22 जनवरी, 1997 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि उत्तर प्रदेश की सरकार को समर्थित मूल्य घोषित करने का अधिकार नहीं है। इस से चीनी मिल मालिकों को बहुत राहत मिली और शह मिली। वह लोग इस बात की कोशिश करते रहे कि उत्तर प्रदेश की सरकार समर्थित मूल्य घोषित न कर पाए और जो केन्द्र की सरकार समर्थित मूल्य या न्यूनतम वैधानिक मूल्य निर्धारित करती है, उसी पर हम गन्ना किसानों को उत्तर प्रदेश में गन्ना बेचने पर मजबूर करते रहे। श्रीमन्, इस फैसले के खिलाफ न तो उत्तर प्रदेश की सरकार और न केन्द्र सरकार ने कोई ध्यान दिया, लेकिन जनवरी, 2001 के महीने में ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदल दिया और कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार को समर्थित मूल्य घोषित करने का अधिकार है। यह उसे घोषित कर सकती है और करेगी। इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार एक मायने में है, वह सरकार उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ नहीं गई, जिस उच्च न्यायालय ने मिल मालिकों को स्टे-आर्डर दिया, रथगन आदेश दे दिया और अभी तक किसान के मूल्य घोषित नहीं हुए। किसान अपनी फसल को देने के लिए मजबूर है। वह क्या करे उस फैसले का? हालांकि उसको यह पता नहीं कि उसकी फसल के कितने पैसे उसे मिलेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार और केन्द्र की सरकार ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया कि वह जाकर इस बात को कहे।

सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि चीनी उद्योग पर संकट है। यह किस तरह से संकट है, कहां का संकट है? सितंबर के महीने में इस सरकार के पास चीनी का स्टॉक 107 लाख मीट्रिक टन था, लेकिन शुगर लॉबी, जो चीनी मिल मालिकों की लॉबी है, उसने यह घोषित किया, यह प्रचारित किया और इस सरकार को यह सोचने के लिए मजबूर किया कि नहीं, ऐसा नहीं है, चीनी 120 लाख मीट्रिक टन स्टॉक में है। चीनी मिल मालिकों ने हम लोगों को भी यह सूचित किया अक्टूबर के महीने में, सीजन के शुरू में ही। इस तरह सीजन के शुरू से ही यह साजिश शुरू हो गई और उन्होंने ऐसी घोषणा कर दी। नतीजा यह हुआ कि तत्काल, पता नहीं कैसे, जो सितंबर के महीने में चीनी का स्टॉक 107 लाख मीट्रिक टन था, वह एक अक्टूबर को 120 लाख मीट्रिक टन हो गया और केन्द्रीय सरकार का तत्काल ही यह फैसला हुआ, जिससे 30 लाख मीट्रिक टन चीनी बाजार में झोक दी गई। इससे चीनी के भाव नंदे हो गए। जो सरकार का नियम है, उस नियम के तहत निश्चित मात्रा में हर महीने चीनी बाजार में भेजी जाए, लेकिन उस निश्चित नियम के विरुद्ध एकदम 30 लाख मीट्रिक टन चीनी बाजार में झोक दी गई। इसका नतीजा यह हुआ कि फिर सरकार के ऊपर मिल मालिकों ने दबाव डाला कि चीनी बहुत सस्ती है, हम यह मूल्य नहीं दे सकते।

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में हमेशा मूल्यों का निर्धारण केवल केन्द्र सरकार के द्वारा जो घोषित मूल्य होते हैं उसके ऊपर नहीं होता, वहां आपसी फैसले से मूल्य निर्धारण होता रहा है और हमेशा फैसले पर हुआ है। जो यहां की स्थिति है, जो यहां का तरीका है, जिस ढंग से न्यूनतम वैधानिक मूल्य घोषित किए जाते हैं वह रिकवरी के ऊपर किए जाते हैं और 8.5 रिकवरी के आधार पर यह होता है। जैसे जैसे रिकवरी जहां जहां बढ़ती जाती है वैसे वैसे मूल्य भी बढ़ता जाता है। महाराष्ट्र की स्थिति तो दूसरी है, वहां थोड़ा यह भी फायदा है कि सहकारी चीनी मिलें हैं और चीनी मिलों को जो फायदा होता है, किसानों को भी उससे हिस्सा मिलता है, जिससे हमेशा उनका भाव 110/-रुपए, 120/-रुपए रहा है, मगर हमारे उत्तर प्रदेश में केवल 90/-रुपए, 100/-रुपए ही पिछले साल तक भाव मिलता रहा है। इस दबाव के कारण जब चीनी बाजार में आ गई और सस्ती हो गई तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो 5/- रुपए का गन्ना दुलाई भाड़ा था उसमें 75 पैसे की और बढ़ोतरी कर दी।

श्री सभापति : कौशिक जी, एक मिनट। मुझे क्षमा करेंगे, इसके लिए एक घंटे का समय है और पांच सदस्य बोलने वाले हैं। आप खुद ही देख लीजिए कि आप उनको चान्स देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते ?

श्री रमा शंकर कौशिक : श्रीमन्, मैं निश्चित रूप से चाहूंगा कि सभी सदस्य इसमें हिस्सा लें ताकि हमारी बात का वजन बढ़े। अब मैं थोड़े में अपनी बात कहूंगा। मैं यह निवेदन करने जा रहा था, श्रीमन्, कि इस सरकार की सोची समझी नीति, सोची समझी साजिश और अफसरशाही और मिल मालिकों की मिली भगत से यह स्थिति यहां पैदा हुई है।

श्री संघ प्रिय गीतम (उत्तरांचल) : साजिश नहीं है। निकाल दीजिए इसको।

श्री रमा शंकर कौशिक : साजिश भी है इनकी। कैसे नहीं है साजिश ? जब 107 लाख मीट्रिक टन सरकारी आंकड़े बता दिए तो यह 120 लाख मीट्रिक टन कैसे सरकार ने मान लिया ? और, कैसे एकदम यह 30 लाख मीट्रिक टन चीनी बाजार में झोंक दी गई थी ?

तो श्रीमन्, यह स्थिति उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से है। यह कहना कि मिल मालिकों को फायदा नहीं होता चीनी बनाने में, तो यह चीनी बनाने वालों के ही आंकड़े हैं कि सौ क्विंटल गन्ने की पिराई में उन्हें 12,500 रुपए की चीनी मिलती है।

श्री सभापति : कौशिक जी, आपका समय बहुत हो रहा है। आपकी रूलिंग बता देता हूँ, मेरी नहीं है - A Member, who initiates a Calling Attention, should not take more than seven minutes. अब आप देख लीजिए कितने मिनट हो गए हैं।

श्री रमा शंकर कौशिक : सर, मेरे तो अभी 7 मिनट नहीं हुए हैं।

श्री सभापति : जब आप कहेंगे कि 7 मिनट हो गए, मैं बंद कर दूंगा। घड़ी को देखकर बताइए 7 मिनट हुए हैं या नहीं हुए ?

श्री रमा शंकर कौशिक : श्रीमन्, मैं प्वाइंटिड बात कह रहा हूँ।

श्री सभापति : सभी प्वाइंट पर ही बोलेंगे।

श्री रमा शंकर कौशिक : श्रीमन्, मैं केवल खर्च की बात कहकर समाप्त कर दूंगा।

सरकार चीनी मिल मालिकों के बहकावे में आ जाती है और यह मान लेती है कि वाकई चीनी बनाने में बहुत खर्चा आ रहा है। श्रीमन्, 100 क्विंटल गन्ने की पिराई और ज़ीनी बनाने के स्तर तक उसका खर्चा जो भी आता हो, लेकिन उससे उसे 12,500 की चीनी मिलती है, 12,500 की चीनी वह बेच सकता है और इसमें उसे 6 क्विंटल शीरा भी मिलता है, 4 क्विंटल बगास भी मिलती है और 4 क्विंटल मैली भी मिलती है। शीरा 100 रुपए क्विंटल बिकता है और मैली 40 रुपए क्विंटल बिकती है और बगास भी 100 रुपए क्विंटल बिकती है। इस तरह से 13,540 रुपए उसे मिलते हैं और खर्चा जो उसका आता है वह केवल 2,758 रुपए आता है चीनी की प्रक्रिया पूरी होने तक। इसमें अगर किसान की कीमत, जो 9,000 होती है और जोड़ दी जाए तो ग्यारह हजार रुपए से कुछ ऊपर उसका पूरा खर्चा आता है और उसे मिलते हैं 13,500। यह स्थिति बनती है और इस स्थिति में भी अगर चीनी मिल मालिक यह कहते हैं कि उन्हें घाटा हो रहा है तो यह बड़े आश्चर्य की बात है।

श्रीमन्, इसके साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो वैधानिक मूल्य घोषित किए जाते हैं, अगर उन मूल्यों का काश्तकार को पहले ही पता हो तो वह उनके हिसाब से ही खेती करेगा, लेकिन यह सरकार जान-बूझकर उसमें देरी करती है और मूल्य शीघ्र घोषित नहीं किए जाते। फसल बोने से पहले अगर मूल्य घोषित हो जाएं तो किसान किसी भी जिस की उतनी ही खेती करेगा जितनी में कि यह समझेगा कि उसे मुनाफा होगा, लेकिन यह निश्चित है कि हमारे उत्तर प्रदेश के किसानों को 90 रुपए से 100 रुपए तक की कीमत मिलने पर भी मुनाफा नहीं के बराबर होता है, होता ही नहीं है, लागत खर्च ही उसका निकल पाता है। यह स्थिति हमारे उत्तर प्रदेश के किसानों की है।

इसलिए, श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि एक तो आप जो न्यूनतम वैधानिक मूल्य घोषित करें, वह फसल बोने से पूर्व घोषित करें, चाहे ये किसी के भी हों और दूसरे जो नियम आपके हैं, उन नियमों के हिसाब से ही आप लोग यह कीजिए। श्रीमन्, 1300 करोड़ रुपया काश्तकारों का बकाया है। केवल हमारे उत्तर प्रदेश में ही 700 करोड़ रुपया बकाया है -- 400 करोड़ रुपया तो सहकारी चीनी मिलों और निगम की चीनी मिलों पर है और 300 करोड़ रुपया निजी चीनी मिलों पर है। श्रीमन्, सरकार का नियम है कि अगर गन्ने की कीमत अदा करने में 14 दिन से ज्यादा की देरी होती है तो किसान को उसका ब्याज मिलना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश के किसानों के ब्याज को ही जोड़ा जाए तो वह 250 करोड़ रुपए होता है।

इन्हीं शब्दों के साथ, श्रीमन्, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री सभापति : रमा शंकर जी, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अभी तक गन्ने का मूल्य गन्ने की बुवाई से पहले कभी किसी सरकार ने तय किया है क्या?

श्री रमा शंकर कौशिक : नहीं किया है, लेकिन नई चीजें तो आनी चाहिए। किसान को यह पता ही नहीं रहता ...

श्री सभापति : मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि नहीं किया न?

श्री रमा शंकर कौशिक : जी, अभी तक तो नहीं किया।

श्री सभापति : नहीं किया न। ठीक है। श्री मोती लाल योरा।

श्री मोती लाल बोरा (छत्तीसगढ़): माननीय सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादक किसानों की कितनी दुर्दशा है, इसका उल्लेख माननीय मंत्री जी ने स्वयं अपने उत्तर में किया है। दुर्दशा ऐसी है कि पिछले वर्ष 20.9.2002 तक, बकौल मंत्री जी के, 1100 करोड़ रुपए गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों की राशि आज भी बकाया है। माननीय मंत्री जी के बयान को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको इस बात की जानकारी मिलेगी कि सबसे अधिक बकाया राशि सरकारी मिलों पर ही है। निजी मिले, सहकारी मिले और निगमों की मिले, इन तीन मिलों पर 1,100 करोड़ रुपए की राशि बकाया है और सबसे ताज़्जुब की बात तो यह है कि 110 चीनी मिलें हैं और सरकार बार-बार इस बात की दुहाई दे रही है कि इन 110 चीनी मिलों में से 50 से अधिक मिलें चालू हो चुकी हैं और चीनी की पैराई शुरू हो गई है। तथ्यात्मक जानकारी यह है कि ये मिले चालू नहीं हुई हैं और गन्ने की जो खरीद हो रही है, उत्तर प्रदेश सरकार और मिल-मालिकों की मिलीभगत ऐसी हुई कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने गन्ने के दाम तय किए, भारत सरकार अलग से दाम तय करती है लेकिन मिल-मालिकों ने दूसरे दिन ही उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की और जो दाम निर्धारित किए गए थे, उस पर स्थगन आदेश मिल गया। अब किसान ने जो पिछले साल का गन्ना बेचा, उसकी राशि तो मिली नहीं और इस साल गन्ने की उपज होने के बाद भी मिल-मालिकों का कहना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो 100 रुपए की राशि तय की है, उस दाम पर वे किसी भी हालत में गन्ना नहीं खरीद सकते क्योंकि उनका कहना है कि उन्हें 1,700 करोड़ रुपए का घाटा है। अब जो 100 रुपए का मूल्य तय किया गया था, उस पर तो स्टे हो गया।

मेरा माननीय मंत्री जी से केवल यही कहना है कि किसान जो गन्ना उत्पन्न करता है, आज वह उसे जलाने की स्थिति में आ गया है और मिल-मालिक उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उस गन्ने को 60 और 65 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर गन्ना खरीद रहे हैं। चूंकि यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, मैं माननीय मंत्री जी से केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि यह सरकार किसानों के हितों का संरक्षण नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार चाहे वह "भाजपा" की हो या "बसपा" की हो, उसने किसानों के हितों के संरक्षण की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है।

माननीय सभापति महोदय, एक प्रश्न और रह जाता है कि जब तक किसान गन्ना नहीं काटता, तब तक वह गेहूँ की बुवाई नहीं कर सकता। आने वाली फसल गेहूँ की होगी और कृषि मंत्री जी ने भी स्वीकार किया है कि गन्ने की इस हालत के कारण आने वाले समय में गेहूँ का उत्पादन कम होगा। तो सरकार किसकी राह देख रही है? सरकार को चाहिए कि वह उचित कदम उठाए और सरकार के ऊपर जो 1,100 करोड़ रुपए की धनराशि बकाया है, वह उसका तत्काल भुगतान करे और यह सुनिश्चित करे कि किसान अपना गन्ना न जलाए और गन्ना मिलों द्वारा गन्ना सही कीमत पर खरीदा जाए, इतना ही मुझे कहना है। धन्यवाद।

श्री सभापति : हरेन्द्र सिंह मलिक जी, आप बोलिए।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक (हरियाणा) : सभापति महोदय, यह एक अत्यंत गंभीर मामला है।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि दो माननीय सदस्यों ने जो बात कह दी है, उसके अतिरिक्त कोई बात हो, तो वह कहिए।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक : अगर आपका आदेश हो तो मैं बैठ जाऊं ?

श्री सभापति : नहीं, बैठिए नहीं, आप खड़े रहिए ।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक : महोदय, खड़े होने के लिए तो मैं यहां आया नहीं हूं ?

श्री सभापति : मैंने खड़े होने के लिए नहीं कहा है, मैंने केवल इतना ही कहा है कि कौशिक जी ने और वीरा जी ने जो बातें कही हैं, उनके अतिरिक्त कुछ कहना हो तो कहिए ।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक : मान्यवर, मैं अतिरिक्त बात ही कहूंगा । मेरा आपके माध्यम से सरकार से कहना है कि गन्ना किसान आज पूरे मुल्क में तबाह हो रहा है । यह इसी सम्मानित सदन में मैंने कई बार तथ्यों के साथ कहा है और जो लिट्टेचर मिला है, उसके मुताबिक एक अजीब संवैधानिक संकट है, यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि माननीय कृषि मंत्री जी ने केन्द्र सरकार को आरोपित किया है । यह "राष्ट्रीय सहारा" में प्रकाशित हुआ है और उन्होंने कहा है कि मैंने जो सुझाव भारत सरकार को दिए थे, अगर उन सुझावों को मान लिया जाता तो आज यह नीबल न आती और गन्ना किसानों की यह हालत न होती । मैं पुनः आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि रोज जांच होती है, तो इस कथन की भी जांच होनी चाहिए कि आखिर दोष कहां है, किसका है ?

सभापति महोदय, इसी सम्मानित सदन में माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा है कि MSP में घोषित नहीं करता हूं, बल्कि खाद्य मंत्री घोषित करते हैं । जब कि मेरी सूचना यह है कि खाद्य मंत्री का गन्ने से नहीं, केवल चीनी से संबंध होता है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार के मंत्री इस तरह से गलतबयानी और एक-दूसरे को आरोपित करने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो करोड़ों किसान हैं, उनके मन में शंका उत्पन्न होगी या नहीं होगी ? और यही नहीं उत्तर प्रदेश में तो यह भी हुआ है कि 1997 का दो रुपए क्विंटल आज तक नहीं मिला और उस पर चर्चाएं क्या-क्या हुईं और केन्द्र सरकार उस पर कोई पैरोकारी नहीं कर पाई । मेरे साथी श्री विनय मोहन सिंह, एम0एल0ए0 ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रिट फाइल करके मुकदमा लड़ा और उसके बाद भी आज गन्ना किसानों का करोड़ों रुपए का भुगतान नहीं हो पा रहा है । उसके क्या कारण रहे यह मैं जानना चाहता हूं ? मान्यवर, इतिहास गवाह है कि जब-जब शुगर मिल एसोसिएशन को पैसे की जरूरत होती है, रिलीफ की जरूरत होती है, पहले कितना लेवी का था, पहले यह 15 फीसदी खुले में बेचते थे और फिर 35 फीसदी बेचने लगे, आज केवल 10 फीसदी लेवी रह गया है । जब भी इन्हें आवश्यकता होती है यह ब्लेकमेलिंग करते हैं और ब्लेकमेलिंग में किसान तबाह और बरबाद हो जाता है और उसके बाद उन्हें रिलीफ मिल जाती है । आज भी चार सौ करोड़ का इन्हें रिलीफ मिल गया है । किसान को क्या मिलेगा ? शुगर निधि की स्थापना इसलिए की गई थी कि शुगर उत्पादकों की भलाई के लिए काम करेंगे, नई-नई तकनीकें विकसित होंगी, नई टेक्नॉलोजी बनेगी । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं शुगर निधि जो किसानों की भलाई के लिए थी, केवल गन्ना भुगतान के लिए दी जानी चाहिए थी लेकिन उस मिल मालिक को पैसा गया है जिसने लाभ कमाया है । मेरे पास आंकड़े हैं और आंकड़ों के साथ कह रहा हूं कि आज भी 2900 रुपए उत्पादन व्यय से अलग प्रति बोरी चीनी मिल मालिकों की जेब में जाती है । मेरे यहां 10.70 प्रतिशत रिकवरी है जो इन्हीं के द्वारा दर्शाई गई है । जब आंकड़े साफ हैं तो उसके बाद क्यों कार्रवाई नहीं करते । क्या यह सत्य नहीं है कि सत्तासीन लोगों के साथ काम करने वाले लोग मैं दावे के साथ कह रहा हूं, रमा शंकर कौशिक जी बैठे हैं, क्या मुरादाबाद में कोई मिल मालिक का ठेका ऐसा है जिस ठेके में बड़े लोगों के काम नहीं कर रहे

हैं। मिल मालिक भी तबाह हो रहे हैं और इनके तथा माफिया के जंजाल में फंसे हैं। जो इनका बॉयो प्रोडक्ट था वह उनको नहीं मिल पा रहा है और किसान को मरने पर मजबूर किया जा रहा है। मान्यवर, मैं बहुत साफ और स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि केन्द्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए।

सभापति महोदय, जरा सुन लें। आज जो हालात बने हैं, एक महीना हो गया है। पहले किसान का गन्ना सूखे से गया और अब वह गेहूँ की, रबी की बुआई नहीं कर पाएगा। संवैधानिक संकट पैदा हुआ है। 32 लोग हैं मिल मालिकों के। 32 लोगों ने एक करोड़ गन्ना उत्पादकों को उत्तर प्रदेश में बरबादी के कगार पर खड़ा कर दिया। क्या करना था, क्यों नहीं बोले हम? सरकार प्रदेश की हो चाहे केन्द्र की हो, पार्टी कोई भी हो, पहले हम अपनी जमात की बात करेंगे, उस बे-बोलते किसान की बात करेंगे जिसके बलबूते पर जिसके घर में जन्म लेकर के हम यहां पैदा हुए हैं। यही नहीं मान्यवर, 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार में ऐसा ही हुआ था। उनके श्राप के कोप भाजन यह भी बने और अगर यही हाल रहा, आपसे मैं चाहता हूँ कि आप व्यवस्था दें। आपसे मैं चाहता हूँ कि आप निर्देश दें कि क्या कारण रहे कि जो सीजन अक्टूबर में चलना चाहिए था, जो शुगर मिल 20 और 22 अक्टूबर को चलनी चाहिए थी वह दिसम्बर तक क्यों नहीं चली, इसके पीछे क्या कारण रहे हैं? अभी भी जो मिलें चल रही हैं, मेरे जिले में कम से कम 50 हजार लोगों ने गिरफ्तारी दी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आठ दिन जाम रहा, रास्ते जाम रहे। एक शब्द किसानों के लिए नहीं बोल पाए। इस चुप्पी का क्या कारण है? यह जांच का विषय है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्यों अपील अभी तक प्रदेश सरकार ने नहीं की। मिल मालिक यह कह देते हैं कि 50 साल से एक व्यवस्था चल रही थी कि इसका मूल्य घोषित होता था। मेरा अनुरोध है कि आप निर्देश दें कि एम0एस0 पी0 की पुनर्व्याख्या होनी चाहिए। अब की बार डीजल का दाम बढ़ा, खाद का दाम बढ़ा, लेबर का दाम बढ़ा, उसके हिसाब से एम0एस0पी0 क्यों नहीं जारी की गई, बढ़ा करके क्यों नहीं जारी की गई? आप ही के यहां का लिटरेचर मेरे पास है। उसमें एम0एस0पी0 के लक्ष्य हैं कि जो समर्थन मूल्य है वह किस प्रकार से जारी किया जाएगा। मान्यवर, 32 लोगों के लाभ के लिए करोड़ों किसानों का गला घोंटा जाए। एक हजार एकड़ जमीन का गन्ना फुंका गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसका क्या होगा? सूखे की मार से पहले के पीड़ित उनकी आज रबी की बुआई नहीं होगी और अगली बार बैठ करके फिर मेरा काम हो जाएगा। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि उन लोगों को चिन्हित किया जाए जो ट्रेडिंग का काम करते हैं। रिलीफ के मामले में माननीय खाद मंत्री जी बैठे हैं, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा, यह बताएं कि किस-किसने सिफारिश की? मलकपुर चीनी मिल का कोटा क्यों रिलीज किया गया, मोदीपुर का क्यों किया गया? मोरे इण्डस्ट्री जो मेरे क्षेत्र की इण्डस्ट्री है आज वहां चीनी पड़ी है। वहां किसान तबाह और बरबाद है। उसे चीनी बेचने की अनुमति न देकर क्यों नहीं भुगतान किया गया? मान्यवर, मैंने प्रधान मंत्री जी को लिखा था। एक अन्याय किसान के साथ नहीं हुआ।

श्री सभापति : नहीं होना चाहिए।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक : सभापति महोदय, मैं बता रहा हूँ, मैं तथ्यों के साथ कह रहा हूँ। मैंने आदरणीय प्रधान मंत्री जी को भी लिखा था। सभापति महोदय, मलकपुर चीनी मिल ने दो साल पेशतर किसान का सारा गन्ना मूल्य एफ.डी. में जमा करा लिया। क्या वित्त विभाग ने उसे बैंकिंग का लाइसेंस दिया था? यह घाघली है। किसान अपनी बेटी के ब्याह के लिए चार रुपये

सैकड़ा पर, 48 परसेंट ब्याज पर पैसा लेता है और उन्होंने 9 परसेंट पर जमा करा लिया इसका क्या औचित्य था ? क्या हम अक्षम हैं ? हम क्यों नहीं इसकी जांच का आदेश करते कि उसे बैंकिंग का लाइसेंस किसने दिया ? क्या उसके लिए बैंकिंग का प्रावधान था ?

सभापति महोदय, दूसरा मामला दो रुपये किटल का मामला है। करोड़ों रुपये किसान का तबाह है, उसकी वसूली के लिए क्या प्रयास किया गया ? मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि मेरे द्वारा उठाये गये बिंदुओं पर वह चीनी मिलों को चलवाये और आगे सै किसान को ब्याज सहित पैसे का भुगतान करने की व्यवस्था करवाये। धन्यवाद।

SHRI SK. KHABIR UDDIN AHMED (West Bengal): Mr. Chairman, Sir, hon. Member, Shri Rama Shanker Kaushik, has raised a very important issue. I would like to say, with a heavy heart, that the sugarcane growers are in a crisis, throughout the country. Recently, a serious situation has arisen specially, in Uttar Pradesh. Last year, the production of sugar was about ten million tonnes and the dead stock was 100 lakh tonnes. This year, the production has increased more than double that of last year, that is, 20 million tonnes. I would like to know from the hon. Minister as to how the problem is going to be solved by opening only 54 mills out of the 110 mills.

Now, the arrear dues to the sugarcane growers is Rs.1,100 crores, as on 30th September, 2002.

श्री सभापति : आप सही पढ़िए।

SHRI SK. KHABIR UDDIN AHMED: According to Press reports, while the sugar mills in Haryana owed Rs.100 crores to the sugarcane growers up to the end of last financial year, the arrears in Uttar Pradesh come to a staggering amount of Rs.1,000 crores. Therefore, the Government should take necessary steps immediately to clear the arrears due to the sugarcane growers.

The Centre has fixed the Statutory Minimum Price of sugarcane at Rs.64.50 per quintal for 2002-03, as against Rs.62.05 last year. I would like to know from the hon. Minister whether it is adequate. The Government should come forward to solve the problem.

One of the main objectives of the Sugarcane Development Fund is defraying the expenditure for the purpose of building up and maintenance of a buffer stock, with a view to stabilising the price of sugar. But did it really protect the interests of the farmers by stabilizing the sugar price? Moreover, the farmers are not being paid the price for the sugarcane, by the mill-owners in time, which, ultimately, results in the growers going in for other options. If this situation continues, the Indian farmers, particularly, the

sugarcane growers, will continue to commit suicide, and in future, nobody will grow sugarcane; as a result, within two or three years, the sugar price will increase. I, therefore, urge upon the hon. Minister to take necessary steps and let us know what steps he is going to take to solve the problem. Thank you.

श्रीमती सरोज दुबे (बिहार) : माननीय सभापति महोदय, आज पूरे देश में किसानों की हालत बहुत खराब हो रही है, चारों तरफ हाहाकार मची हुई है। गन्ने को लेकर न केवल किसान परेशान हैं बल्कि बर्बादी के कगार पर हैं। जबकि गन्ना पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है लेकिन उत्तर प्रदेश में गन्ने की मिठास पर राजनीति की खटास हावी हो गयी है। राज्य की चीनी मिलों पर इस समय एक हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा किसानों का बकाया है। गन्ना किसान भुगतान की मांग कर रहे हैं क्योंकि नया पेराई सत्र शुरू होने वाला है। उधर राज्य सरकार के एजेडे में गन्ना किसान के लिए कोई स्थान नहीं है। राज्य सरकार मिल मालिकों के प्रवक्ता के रूप में काम कर रही है। कायदे से गन्ने का भुगतान 14 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए अन्यथा 15 फीसदी ब्याज दिया जाना चाहिए लेकिन ब्याज तो बहुत दूर की बात है, उन्हें मूल भी नहीं मिलता है। अक्टूबर के पहले हफ्ते से किसानों का गन्ना मिल में जाने को तैयार हो जाता है। अगर मिल मालिक गन्ना लेने से मना कर दें तो वह धीरे-धीरे सूखने लगता है। इस बार किसानों की कड़ी मेहनत से पैदा हुआ गन्ना खेत में ही डेढ़-दो माह से सूख रहा है। मिल मालिकों ने मिल नहीं चलाई, सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। जब किसान गन्ना जलाने लगा, तब सरकार की आंखें खुलीं लेकिन किसानों के खिलाफ यह साजिश एक दिन की नहीं है, पहले से रची जा रही थी। अचानक हफ्ते भर पहले चीनी का थोक भाव 2000 रुपये गिर गया। चीनी की कीमत में गिरावट मिल मालिकों की सोची-समझी रणनीति के तहत था। मिल मालिकों ने बाजार में चीनी के भाव इसलिए गिराए ताकि उन्हें यह कहने का मौका मिले कि हमारा बहुत घाटा चल रहा है, हम किसानों को और कीमत नहीं दे सकते। अचानक चीनी का दाम गिर जाने से मिल मालिकों ने अपना रुदन शुरू कर दिया। अब गंभीर चिंतन का विषय यह है कि अचानक चीनी का दाम क्यों गिरा? इसके बारे में मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगी कि यह हमेशा होता आया है। मिल मालिक सोची-समझी नीति के तहत बाजार में चीनी झोंक देते हैं और उसके बाद दाम गिरा देते हैं, फिर किसानों को पैसा देने से इन्कार करते हैं। भारत सरकार के नियम के मुताबिक हर माह चीनी की एक निश्चित मात्रा ही गोदामों से बाहर जाती है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन की पत्रिका इंडियन शुगर के आंकड़े बताते हैं कि 30 सितम्बर, 2002 तक देश में करीब 107 लाख टन चीनी रिजर्व स्टॉक में थी। इसके विपरीत मिल एसोसिएशन का ही दूसरा आंकड़ा है जिसके मुताबिक 10 अक्टूबर, 2002 को देश के स्टॉक में केवल 120 लाख टन चीनी रह गयी। एक ही दिन में 13 लाख टन स्टॉक ज्यादा दिखा दिया गया। दूसरा आंकड़ा जनप्रतिनिधियों को दिया गया ताकि वे लोग उनकी यकालत कर सकें। मान्यवर, चीनी जानकारों का कहना है कि सरकारी अफसर और मिल मालिकों ने मिलकर अक्टूबर के माह में पहले पखवाड़े में ही बड़े पैमाने पर गोदामों से चीनी निकलवाकर बाजार में झोंक दी ताकि चीनी का दाम गिर जाए। नियमों को ताक पर रखकर नहीं बर में करीब 30 लाख टन चीनी बाजार में झोंक दी ताकि चीनी का दाम गिर जाए और बाजार में चीनी का मूल्य एक बम गिर गया। इस समय देश के गोदामों में केवल 90-95 लाख टन से ज्यादा चीनी नहीं बची है। यह काम अक्टूबर और नवम्बर में इसलिए किया गया है ताकि किसान अपनी फसल की ज्यादा कीमत की मांग न कर सकें। किसानों को उस समय अपना

गन्ना निकालने की जल्दी इसलिए भी रहती है कि अगर गन्ना ज्यादा देर खेत में खड़ा रहा तो उसका शीरा सूखने लगता है। साथ ही साथ जब वह खेत खाली करेगा, तब वह उसमें गेहूँ बो सकता है जिससे उसके परिवार का खर्चा चलता है लेकिन न तो मिल मालिकों को कोई रहम आता है, न सरकार को कोई तरस आता है। सबकी मिली-जुली साजिश के चक्र में किसान पिसता रहता है। आंदोलन को दबाने के लिए सरकार और मिल मालिकों ने मिलकर यह खेल किया। दबाव में आकर सरकार ने मिल मालिकों को चार सौ करोड़ रुपये का पैकेज दे दिया। चार सौ करोड़ रुपये का दूसरा पैकेज उन्हें मिलने वाला है और किसान जहाँ का तहाँ है। न उसको मूल मिल रहा है, न उसे ब्याज मिल रहा है। रोज यह मिलों के चक्कर काट रहा है और उसका कोई हिसाब नहीं हो रहा है। महोदय, एक और बात यह है कि किसान की गाड़ी मेहनत से उपजाये गन्ने का दस फीसदी गन्ना कम तौला जाता है। यह घटतौल की जो बीमारी है, वह आज से नहीं बल्कि बहुत दिनों से चली आ रही है। किसान जानता है, सरकार जानती है कि गन्ना हमेशा कम तौला जाता है लेकिन सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बनाती जिससे किसान का गन्ना पूरा तौला जाए ताकि उसकी कड़ी मेहनत का पारिश्रमिक पूरा पूरा मिले। पहले तो डंडी मारी जाती थी, अब नयी-नयी तौल की चीजें जैसे इलेक्ट्रॉनिक कोटा आ गयी हैं। उसमें कहीं चुम्बक लगा दिया जाता है और कहीं वोल्टेज कम करके या फिर मशीन में कम तौल कर इधर-उधर कर दिया जाता है। इसलिए किसानों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। महोदय, मिल मालिक तो केवल सस्ते दामों पर किसान से गन्ना खरीदता है। परन्तु गन्ने की खोयी, गन्ने का जो शीरा है, जिससे शराब बनती है। दस रुपये के गन्ने के शीरे से जो शराब बनती है वह एक बोतल 200/- रु में बिकती है। और मिल-मालिक कमते हैं लेकिन किसान बेचारा जो दिन भर खेत में तपता है, जलता है, रात-दिन परिश्रम करके अपना खून-पसीना बहाता है, उसको कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए मैं सरकार से जोरदार मांग करती हूँ कि कम से कम गन्ना किसानों के साथ जो कुछ बीत रही है, उसको देखे। पहले भी उन पर गोलियाँ चल चुकी हैं, इसलिए एक बार इसकी समीक्षा कीजिए और किसानों के हक में कानून बनाइए। हमें मालूम है कि चीनी मिल वाले पैसे वाले हैं, चुनाव में पैसा देते हैं, शुगर लॉबी बहुत बड़ी और शक्तिशाली है लेकिन इस देश का किसान इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इस देश का किसान इस देश की रक्षा करता है, हमारा और आपका पेट भरता है, इसलिए उसके आंसुओं को पोंछने का काम कीजिए और नए कानून बनाइए ताकि उसको समय पर पैसा मिल सके। जो उसको पैसा समय पर न दे, उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही कीजिए ताकि इस देश का किसान गन्ने की सही मायनों में खेती कर सके और सही मायनों में हम गन्ने का इस्तेमाल कर सकें, धन्यवाद।

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Mr. Chairman, Sir, due to paucity of time, I would straightaway put questions. Sir, there are many reasons for the decrease in the price of sugar. According to an estimate, more than 5,500 crore tonnes of sugar is lying in India. In Russia and Ukraine, which are important sugar consumers, the domestic production of sugar has increased. The important exporters of sugar like Brazil, the European Union, Thailand, Australia and South Africa, are expected to produce 11 per cent more sugar compared to the sugar which they produced last year. That is also one of the reasons. According to the Agriculture Department of the US Government, this year global production

of sugar would increase by 3.7 per cent. They are expecting that it would increase from 133.9 million tonnes to 138.8 million tonnes. This is the global situation in which we have to compete with the other countries. These are facts. I would like to know from the hon. Minister whether it is a fact that the Allahabad High Court has given a judgement that the regulated release mechanism is violative of our Constitution. Is it a fact that the Allahabad High Court has given a judgement? The sugar manufacturers have obtained stay orders. They are now selling more sugar than what was allocated by the Government. Is it a fact?

I would also like to know whether any State Government has announced subsidy on the export of sugar. If so, I would like to know which State Government has announced subsidy and to what extent. So far no official order has been issued. I would like to know whether the sugar manufacturers have stopped exporting their stocks in the hope that the Government would issue such an order. If so, what action has the Government taken?

Sir, the Director-General of the Indian Sugar Mills' Association says that there is a gap of two lakh tonnes between the estimates given by the Government of India and the Indian Sugar Mills' Association. They are saying that the Government of India has over estimated it. If it is a fact, what is the difference between the estimates put forward by the Indian Sugar Mills' Association and the Government of India?

Is there any proposal to export sugar to Indonesia? Already there is a lot of competition in the world. Indonesia needs 6,50,000 tonnes of sugar. Malaysia also needs sugar. What action has the Government taken to obtain orders from these countries?

Sir, there is a difference in the definition given by the Customs Tariff Act and the Bureau of Indian Standards Act in regard to raw sugar and white sugar. According to the Customs Tariff Act, if sugar contains 99.5 per cent sucrose, it is raw sugar. The people who export sugar, can sell 20 per cent of imported sugar in the local tariff area, I suppose. In the guise of raw sugar, they are importing from other countries at lesser cost than what is actually the manufacturing cost in India. They are trying to sell it in the local market under the definition of the Bureau of Indian Standards Act. Therefore, I want to know how are you going to solve this problem of difference between the definitions of the Customs Tariff Act and the Bureau of Indian Standards Acts? Sir, after having allocated Rs.786 crores from the Sugar Development Fund, as well as, the loan they are expecting from the bank, still there is a gap of Rs.314 crores that sugar manufacturers have to

pay to the sugarcane growers. According to your estimate, Rs.1100 crores is actually due to the sugarcane growers. You have made arrangements including the loan that you are expecting to obtain from the bank, Rs.786 crores. Therefore, I want to know about the balance of Rs.314 crores, how are you going to give to the sugarcane growers? Then, Sir, he said about the demand that you have received from the Indian Sugar Mills Association and the National Fertilizers Co-operative Sugar Factories Limited, that instead of quarterly quota, it should be converted into monthly quota. If it is so, what is the difference between these two? What action does the Government propose to take? My next point is that we want 400 billion litres of ethanol. What action has been taken by the Petroleum Ministry in coordination with your Ministry to fulfil this requirement. The last question is, whether you had any interaction with the State Governments regarding the reduction of sales tax in the States, constitution of Welfare Boards for the agricultural labourers and loans for agriculturists. If not, what is the reason? If you had any interaction, what action have you taken? With these words, I conclude. Thank you very much.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY (Andhra Pradesh): Thank you, Sir. We are discussing the plight of farmers of our country. Sir, farmers are facing a lot of difficulties and they are in distress, because they are not getting remunerative prices, apart from severe drought. Sir, I want to know from the Government whether they are considering to increase the Statutory Minimum Price (SMP), as the present SMP is only Rs.64 per quintal. The Minister has stated in his statement that the Government would encourage exports of sugar aggressively and further assistance to sugar exporters, in addition to the existing facilities. Will the Minister spell out the details of this scheme? Sir, apart from this, I would like to request the Government to see that the dues of farmers, quarterly payments due to the farmers, should be paid immediately. The Government of India should ensure that these payments are made promptly. Lastly, I request the Government to review the whole situation from the farmers' angle, from the angle of mitigating their problems, not from the other angle. I repeat that the review should be from the farmers' angle. As we are aware, in Uttar Pradesh, Maharashtra and Andhra Pradesh, farmers are facing a lot of difficulties. The concepts of the Government, 'lab to land' and 'demand and supply' theory; all those things remain mostly on paper. I want that these should be implemented in toto. The research institutions which are doing exemplary work on sugarcane like in the State of Maharashtra, the Vasant Dada Patil Institute should be encouraged. I request the Government to increase the number of such institutions so as to encourage the farmers,

to invest their money in an effective manner to bring down the cost of production and also to improve the yield. For all these reasons, the research institutions should be encouraged, more particularly, the Vasant Dada Patil Institute. It should be encouraged. Sir, once again, I repeat, the review should take place immediately from the farmers' angle. Thank you, Sir.

श्री सभापति : सदन की अनुमति है कि जब तक इस पर चर्चा समाप्त नहीं हो जाती, उस समय तक के लिए लन्च आदर समाप्त कर दिया जाए?

कुछ माननीय सदस्य : अनुमति है। #

*SHRI R.KAMARAJ (Tamil Nadu): Mr. Chairman, Sir, thank you very much for giving me this opportunity to speak on this Calling Attention on the plight of sugarcane growers in the country. The farmers who produce sugarcane are facing a lot hardship because of various adverse factors. However, in Tamilnadu proper roads are being laid connecting sugar factories with the sugarcane fields to facilitate transportation. This is being done under a scheme known as Sugar Road Development Project. But I must say that sugar factories have been incurring losses due to various reasons. For example the accumulated loss of sugar mills in Tamilnadu till 31.3.2002 was Rs. 918.25 crore. The Centre has fixed the Statutory Minimum Price (SMP) of sugarcane at Rs. 645 per ton for the year 2002-2003. The Government of Tamil Nadu has requested the Centre to increase the SMP to at least Rs. 675 per ton. I appeal to the Hon. Minister to consider this favourably.

Sir, the plight of sugarcane growers is really pathetic. Per hectare cost of production of sugarcane is Rs. 53,760. But the sale price of 100 metric tons of sugarcane produced in one hectare is just Rs. 62,050. The margin is so low that a farmer gets very little not even enough to sustain his family. If there is drought or flood they are drowned in indebtedness. This is the condition of farmers today. It is said that when the price of sugar in the market goes up by 1 rupee per kg, the price of sugarcane should go up by Rs. 80 to 100 per ton. But even when the price of sugar goes up by 2 rupees per kg in the market, the price of sugarcane does not go up. I would request the Hon. Minister to explain as to why the sugarcane price does not go up consequently.

* English translation of the original speech delivered in Tamil

1.00 p.m.

Mr. Chairman, Sir, the Centre has announced that 5% ethanol would be mixed in petrol from January 2003. This ethanol is obtained from molasses, a byproduct obtained while producing sugar. The mixing of ethanol with petrol will save us a lot of foreign exchange. Because we will be saving 3,30,000 metric tons of petrol by way of this. All the savings as a result of mixing of ethanol should be utilised for the welfare of the sugarcane growers. The money so saved could be spent in providing insurance cover to sugarcane crops and for giving 50% subsidy on fertilizers to sugarcane growers. I also request the Hon. Minister to expand the SUBACS scheme to the entire country. Sir, the Hon. Minister, in a statement on 26th October 2002, has said that due to surplus stock of sugar during the last three years sugarcane production has come down. He has also said that the sugar stock at present is 100 lakh tons. The sugar production during the current year is estimated to be 170 lakh tons. The Minister has said that after consuming 80 lakh tons and exporting another 10 lakh tons, there would be a balance of 80 lakh tons of sugar. But I have a point to be clarified by the Hon. Minister. During the year 2001-2002, it is reported that 27 lakh tons of sugar was imported. I wonder as to the need of this import of sugar. I hope the Hon. Minister will explain this. Before I conclude, I appeal to the Hon. Minister to stop import of sugar in future and find ways to export sugar and alleviate the sufferings of the sugarcane growers. Thank you, Sir.

श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश) : सभापति जी, मंत्री जी ने जो गन्ना उत्पादक किसानों के संबंध में अपना बयान दिया है वह स्वयं में सूचना की दृष्टि से पर्याप्त है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में चर्चा चली है। यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादक किसान बहुत परेशान हैं। मिले भी बाद में चली हैं। 55 मिलें चली हैं। लेकिन जहां तक बकाए का संबंध है, लगभग 93 फीसदी किसानों के बकाए का भुगतान हो गया है। इसके भुगतान के प्रयत्न चल रहे हैं। निजी क्षेत्र की मिलों का भी जो बकाया था उसमें सरकार की तरफ से कड़ाई भी की गयी है और एक मिल मैजा, गोडा को जिसका 16 करोड़ का बकाया था उसको इस नाते बंद भी किया है जब तक भुगतान पूरा न हो जाए। तो प्रभावी कार्यवाही करने की दृष्टि से प्रयत्न उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से चल रहे हैं।

लगभग 34 लाख मीट्रिक टन चीनी मिलों में पड़ी हुई है। वह निकल नहीं पा रही है। केन्द्र सरकार की तरफ से 250 क्विंटल के हिसाब से प्रतिमाह रिलीज होती है। उसको अगर ये बढ़ाकर 500 क्विंटल कर दें और रेट ब्रैकेट के लिए तीन महीने का समय दें तो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए काफी सुविधा हो जाएगी।

दूसरा मामला यह भी कहना चाहता हूँ कि सरकार को किसानों को भुगतान करने की दृष्टि से सुविधा होगी अगर बफर स्टॉक में जो माननीय मंत्री जी ने घोषणा की है कि 20

लाख टन चीनी है, यह 20 लाख टन चीनी है वह मिलो के अंदर की क्षमता रिकवरी के आधार पर सुनिश्चित की गयी है - इसी को मापदण्ड न मानते हुए जहां चीनी पड़ी हुई है, अभी भी उस मिल के अंदर बनी हुई है चाहे वह सरकारी हो चाहे निजी क्षेत्र की हो, उस बफर स्टॉक का उस दृष्टि से उपयोग किया तो किसानों की दृष्टि से लाभ होगा। इस दिशा में भी अगर माननीय मंत्री जी कोई सुनिश्चित प्रयत्न करे तो ज्यादा अच्छा होगा।

जैसा कि अभी हमारे मलिक जी ने और कौशिक जी ने वर्णन किया, यह बात सही है और इस वास्तविकता से मुंह मोड़ने की आवश्यकता नहीं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों ने अपने गन्ने को खेतों में जलाया है। किसानों का जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति कैसे हो सके इसके बारे में भी अगर केन्द्र सरकार विचार करे तो ज्यादा अच्छा होगा। मेरे ये सवाल हैं जिनका मैं माननीय मंत्री जी से उत्तर चाहूंगा।

श्री सतीश प्रधान (महाराष्ट्र): सभापति जी, मैं सिर्फ सवाल ही पूछना चाहता हूँ और सवालों के जरिए कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ।

सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि गन्ना उत्पादन के लिए होने वाला खर्च और गन्ने को मिलाने वाला दाम, इनका रेशियो सरकार देखे। तो उत्पादन खर्च पर आधारित करके, गन्ने के लिए जितना दाम मिलना आवश्यक है उस ढंग से उसको नहीं मिलता। क्या इस विषय में सरकार फिर कुछ विचार करने के बारे में सोच रही है? यदि सोच रही है तो क्या विचार का रही है जिससे किसान मजबूती से अपने दम पर खड़ा हो सके? जैसे कि विरुम्भी जी ने पूछा था, यह रा शुगर हम आयात करते हैं। कानून से रास्ता निकाल कर आयात होती है। क्या उस कानून में सुधार करके इसके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाने के बारे में सरकार विचार कर रही है? यदि कर रही है तो क्या कर रही है? यदि नहीं तो क्यों नहीं कर रही है और कब करने का विचार करेगी? मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि देश में कुछ चीनी के कारखानेदारों ने कोर्ट में जाकर खुली बिक्री करने के लिए परमिशन ली है। और वे लोग बाजार में चीनी की खुली बिक्री कर रहे हैं। उससे चीनी उद्योग संकट में आ गया है। ऐसी कौन सी और कितनी चीनी मिलें हैं, जो कि कोर्ट में गई हैं और उन्होंने इस ढंग की परमिशन ली है, क्या इस विषय पर आप कोई जानकारी दे सकेंगे? मैं एक्साइज ड्यूटी के विषय में भी पूछना चाहूंगा, किसानों को डाइरेक्टली उसका कुछ फायदा मिले, आप यहां जो कंसेशन देते हैं किसानों तक वह कंसेशन डाइरेक्ट नहीं जाता, चीनी मिल तक जाकर यह रुक जाता है। तो किसानों को इस विषय में डाइरेक्ट इसका फायदा मिले, इस पर क्या आप कुछ विचार कर रहे हैं? यदि कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि चीनी मिलों ने जो भी उत्पादन चीनी का हुआ यह सभी उत्पादन बैंक के पास कब्जे में देते हुए उनके बैंक के गोडाउन में रखा और पैसा उठा लिया। जब उनको आपने एक्सपोर्ट करने के लिए परमिशन दे दी तो उनके पास मार्जिन मनी नहीं है इसके लिए ये चीनी उत्पादक मिलें उसे एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाई और गोडाउन में चीनी का स्टॉक उसी ढंग से वैसा ही पड़ा हुआ है। महाराष्ट्र में ऐसी 48 लाख टन चीनी इसी ढंग से पड़ी हुई है। क्या आप इस विषय पर गौर से देख कर चीनी जो एक्सपोर्ट करने के लिए है इसके लिए आप दूसरा कुछ रास्ता ढूँढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि इससे से कुछ रास्ता निकले या उनको जो अपना रिजर्व फंड है उसमें से कुछ मदद दे कर आप इससे छुटकारा पाने और उद्योग बचाने के लिए कुछ आप रास्ता निकालने के बारे में सोचेंगे? आपने जाहिर किया है कि बीस-पच्चीस लाख टन चीनी का बफर स्टॉक आप केन्द्र की तरफ से निर्माण कर रहे हैं। यदि 20-25 लाख टन चीनी का केन्द्र की तरफ से बफर स्टॉक निर्माण करना चाहते हैं तो क्या यह बफर स्टॉक क्रिएट करते

समय हिन्दुस्तान में जितनी चीनी है एकसैस स्टॉक करके गोडाउन में पड़ी हुई है उसमें से करीबन 50 प्रतिशत से ऊपर 48 लाख टन अभी महाराष्ट्र के पास है, जो चीनी बफर स्टॉक के लिए आप परचेज करेंगे महाराष्ट्र के चीनी उद्योग को संभालने के लिए क्या उसमें प्रायोरिटी देकर महाराष्ट्र से कुछ चीनी खरीदने का विचार करेंगे ? आखिरी सवाल ऐसा है कि चीनी मिलों ने गए डेढ़-दो साल से किसानों को चीनी का या गन्ने का जो पैसा देना था, वह पैसा जिनको मिला नहीं, दिया नहीं गया उसकी वजह से वहां बहुत असंतोष निर्माण हुआ। लोग, किसान रास्ते पर आकर रुक गए, खड़े हो गए, उन्होंने आंदोलन शुरू किया कि हमारे पैसे चीनी मिलों में नहीं हैं, तो यह हमारा पैसा जल्दी दिलाने के लिए सरकार कुछ कार्यवाही करे यह बिनती करने के लिए जब वे रास्ते पर आए तो उसके लिए महाराष्ट्र की पुलिस भेजी गई और इतना ही नहीं सांगली डिस्ट्रिक्ट जैसे शहर में लोगों के, किसानों के घरों में जा कर औरतों और बच्चों के साथ मार-पीट की गई और मार-पीट करके उनके घर लूटे गए। ऐसी परिस्थिति जो है इस विषय में सरकार क्या कदम उठाने वाली है, यह भी मैं जानना चाहता हूँ ? वन्यवाद।

SHRI N.R. DASARI (Andhra Pradesh): Mr. Chairman, Sir, we are discussing this issue of crisis in the sugar sector in the background of drought situation in India. We cannot look at this problem in isolation from drought situation which is prevailing in most of the States, which are also growing sugarcane. I agree with the views expressed by Mr. Chandra Sekar Reddy, my colleague from Andhra Pradesh. This is a crisis created by the policy of the Government. It is partially shared by the millers, not all the millers, I believe. There are some honest millers who are paying their bills on their own, whatever may be the position of the market. But there are some dishonest millers who are trying to carry on their trade, at the cost of the growers, who are growing sugarcane with great difficulty in this hard situation of drought. Now, my point is this. There are lakhs of tonnes of sugar which have been dumped in godowns of the Government. A large number, tens of lakhs of people are in the need of sugar. Their figure is much more than in the past. Then, why is this crisis? This is a pertinent question. It should be answered straight away by the Government. I think the Government should release much more stocks of sugar under the public distribution system. But it is not doing so. If it releases more stocks, then, the situation would become somewhat ease, and the crisis could be averted. Also, the Government should come forward to rescue the sick mills and their owners and see to it that the growers are also paid their bills quite in time. There is nothing wrong in helping such sick mills. I don't mind in suggesting to the Government that it should take over such mills, but that is a long-range and widespread problem.

Mr. Chairman, Sir, you are aware of the plight of the sugarcane growers, as much as we know, because you represent the sugarcane farmers also. I know it. It is up to you to prevail upon the Government and

see to it that the Government comes forward to help the sugarcane growers so that they are saved from this grave crisis.

श्री शरद यादव : सभापति जी, माननीय रमा शंकर कौशिक जी ने जो सवाल उठाया है और पूरे सदन की जो उस बारे में चिंता है, मैं उस चिंता से वाकिफ हूँ। शुगर इंडस्ट्री में बड़ी क्राइसिस है और मैं माननीय सदस्यों ने जो मोटे तौर पर सवाल किए हैं व उन की जो इस बारे में चिंता है, आप के माध्यम से मैं उस चिंता को शेअर करना चाहता हूँ।

सभापति जी, बहुत से माननीय सदस्यों ने कई तरह के सवाल और कई तरह की बातें की हैं। एक तो माननीय सदस्यों ने देशभर में चल रही सुगर केन क्राइसिस के बारे में सवाल किए और दूसरे उत्तर प्रदेश में जो परिस्थिति अभी बनी हुई है, उस बारे में माननीय सदस्यों ने सवाल खड़ा करने का प्रयास किया है।

सभापति महोदय, पहले सुगर साइक्लिंग में ऐसा हुआ करता था कि दो साल अच्छा उत्पादन होता था तो दो साल खराब लेकिन पिछले चार साल से बम्पर उत्पादन हो रहा है और लगभग 180-185 लाख मीट्रिक टन सुगर का उत्पादन हो रहा है। नंबर दो, हमारे देश की जो सुगर इंडस्ट्री है, वह अधिकांशतः सुगर प्रोडक्शन पर निर्भर है यानी सुगर ही उन को बेचना है और सुगर ही उस को चलाने का साधन है, मॉलेसेस वगैरा बहुत कम है। जिस तरह से दुनिया में यह इंडस्ट्री आगे बढ़ी है, मॉडर्नाइजेशन हुआ है ... उस तरह से हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम सुगर बनाते हैं। सुगर का जो स्टॉक है वह पिछले साल सौ लाख टन था, जो इस बार 84 लाख टन एस्टीमेटेड है। इसका एक कारण यह है कि हमारे यहां पूरे देश में उत्पादन बढ़ा है, कारखाने ज्यादा से ज्यादा लगे हैं, बढ़ते गए हैं, इनका विस्तार बहुत हुआ है और इस विस्तार से हमारे यहां उत्पादन में आत्मनिर्भरता भी आई है। इससे ज्यादा संकट यह हुआ कि हमारे पास कैरी फोरवर्ड स्टॉक जो है वह लगभग सौ लाख टन था और इस साल का लगभग 84 लाख टन हो गया है। यह जो स्थिति है, वह दुनिया भर के सामने है। जब दुनिया खुल गई है तो उसमें भी एक हिस्सा यहां परिस्थिति ने जोड़ा। दुनिया के बाजार में भी सुगर इंडस्ट्रीज में जो है, दाम नीचे आए। ब्राजील में उनकी करेन्सी का डिवैल्युएशन हो गया और चूंकि ब्राजील का 35 परसेंट विश्व बाजार में हिस्सा रहा, जिसमें आस्ट्रेलिया और बाकी देश हैं। हमारा जो सुगर एक्सपोर्ट होता है, हमारे पास जो एक बड़ा स्टॉक है, उसके चलते बहुत सी समस्याएं हैं। अब इस समस्या का निदान देखना है। अगर दुनिया के बाजार में हम एक्सपोर्ट करते हैं तो निश्चित तौर पर दुनिया के बाजार की जो स्थिति है वह बहुत अच्छी स्थिति नहीं है कि हम सुगर को एक्सपोर्ट कर सकें।

सभापति महोदय, बहुत से माननीय सदस्यों ने, माननीय विरूष्मी जी ने और दूसरे सदस्यों ने यह सवाल उठाया कि कितनी सुगर इंडस्ट्रीज हैं, जिन्होंने कोर्ट में जाकर, माननीय अदालत में जाकर रिलीज आर्डर ले लिया? मैं बताना चाहूंगा कि करीब 139 केस पूरे देश की अदालतों में लगे, जिसमें 107 केस हाई कोर्ट में लगे और 32 केस लोअर कोर्ट में लगे। इन सारे प्रकरणों में, जो माननीय अदालतों में थे, उनके चलते 21 लाख मीट्रिक टन चीनी मार्केट में ज्यादा आ गई। एक बड़ा कारण यह है, जिसके चलते मार्केट में सरप्लस हो गया। मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि रिटेल प्राइस ठीक है, लेकिन होलसेल प्राइस जो हैं वह बहुत गिरी हुई हैं और इसके चलते इंडस्ट्रीज में क्राइसिस है। यह जो रिलीज आर्डर हुए हैं, वह हमारे हाथ में नहीं हैं। जहां तक मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो हमने जो कंट्रोल प्री के लिए फैसला किया

था उस फैसले को भी इस क्राइसेस को देखते हुए रोककर रखा और इसलिए इसका मन्थली रिलीज चल रहा है। सीवी बात यह है, जैसा मैंने विस्तार पूर्वक बताया है।

सभापति जी, बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि किसानों का 1100 करोड़ रुपया बकाया है। मैं यह सारी बात मानता हूँ और मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश में किसानों का ज्यादा बकाया है, पांच सौ, साढ़े पांच सौ करोड़ रुपया पिछले साल का बकाया है और यह साठ, सत्तर करोड़ रुपया पुराना दो-तीन साल का है।

श्री रमा शंकर कौशिक : सात सौ करोड़ रुपया बाकी है।

श्री शरद यादव : नहीं, सात सौ करोड़ तो नहीं, थोड़ा कम है। यह मिश्र जी ने ठीक कहा है। यह पिछले साल का पांच सौ, साढ़े पांच सौ करोड़ रुपए का बकाया है। निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश के किसानों का ज्यादा है। इसके लिहाज से मैं आपके माध्यम से, सभापति जी, माननीय सदन से कहना चाहता हूँ कि हमारे पास एसडीएफ, जो शुगर डवलपमेंट फंड है, वह 1300 से 1400 करोड़ रुपया हमारे पास है। अभी 26 तारीख को इसी सदन में, जो बीस लाख टन का हमने शुगर का बफर स्टॉक बनाया है और एसडीएफ जो रूल्ज है उसमें अमेडमेंट लाया है, तो यह सारा पैसा एसडीएफ से बफर स्टॉक के लिए जाएगा, यह सीधा किसान के पास जाएगा यानी इस पर बैंक से 374 करोड़ रुपए का क्रेडिट ले सकते हैं। इस प्रकार करीब 786 करोड़ रुपया सीधे किसान को जाएगा 1100 करोड़ रुपए में से। इन पिछले 55 सालों में जो कोई भी सरकार रही है, उनका बफर स्टॉक केवल 3 लाख या 2 लाख या 5 लाख का ही रिकार्ड है, लेकिन इस बार हमने 20 लाख टन किया है। हम इस काम में महीने, दो महीने से, जबसे क्राइसेस आई हुई है, लगे हुए हैं, यह क्राइसेस सदन को तो आज पता चली है। और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इसके चलते भी सारी राहत नहीं मिल जाएगी, लेकिन यह सबसे बड़ा बफर-स्टॉक है जिसको हमने 'नाया' है और इस बफर-स्टॉक का और वेलफेयर का सारा का सारा लाभ सीधा किसान को जाएगा, इसमें एक पैसा इंडस्ट्री को नहीं जाएगा, सीधा किसान को इसका पेमेंट होगा। तो जो कदम सरकार के बस में है, भारत सरकार के हाथ में है, वह हमने उठाया है, जिसमें 1100 करोड़ में से 786 करोड़ रुपए की राहत देने का काम हमने आलरेडी किया है और इससे सदन को भी इन्कार कर दिया है, लोगो को बता दिया है।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि हम एक काम और करने वाले हैं। हमने जो 786 करोड़ का बफर-स्टॉक बनाया है, इसके कारण चीनी के दाम नीचे आए हैं और अगर चीनी के दाम नीचे आएंगे तो उद्योग संकट में आएगा, उद्योग संकट में आएगा तो किसान संकट में आएगा। अब इन सारे संकटों से बचने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम दुनिया के बाजार में इसे एक्सपोर्ट करें। इस साल हमने एस.डी.एफ. फंड में जो अमेडमेंट किए हैं, उसमें ट्रांसपोर्ट और बाकी सब चीजों पर 9, 10 करोड़ की सब्सिडी देने वाले हैं और कामर्स मिनिस्ट्री से, फाइनेंस मिनिस्ट्री से और बाकी मिनिस्ट्रीज से बात करके हम विचार कर रहे हैं कि कैसे हम इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यह इतना बड़ा कैरी ओवर-स्टॉक है कि जब तक यह रहेगा तब तक दाम के मामले में इंडस्ट्री का क्राइसिस बना रहेगा। हम इस बात को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इसको दुनिया के बाजार में ले जाया जाए।

सभापति जी, जो शूगर केन फारमर्स हैं और इन्होंने जो उत्तर प्रदेश का अलग से सवाल उठाया है, मैं उस सवाल पर यह कहना चाहता हूँ कि वहाँ 54 मिलें खुल गई हैं और उनमें से अधिकांश मिले वेस्टर्न यू.पी. और मध्य यू.पी. की हैं। इस महीने की 10 तारीख तक ईस्टर्न यू.पी. की सभी मिलों को खोलने का काम किया जाएगा, ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार के लोगों ने मुझे बताया है। इसके बावजूद भी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, हमने तो पहले ही उत्तर प्रदेश की सरकार के पीछे लग-लग कर यह अनाऊंस कराया कि पिछले साल को ही अनाऊंस कर दो, तो 95 रुपए से लेकर 100 रुपए तक का दाम अनाऊंस हुआ था, लेकिन माननीय अदालत ने उसको रोक दिया है। अब यह केस इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में आने वाला है। अब यह हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हमारे हाथ में जो था कि जो ग्राइवेट मिलें हैं, जो कोआपरेटिव मिलें हैं, सरकारी मिलें हैं, इनको कैसे खोला जाए, उस पर हमने काम किया है और पिछले साल जो 101 मिलें थी, उनमें से 54 खुल गई हैं और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार इस विषय पर पूरी तरह से चिंतित है। हालांकि यह शार्ट टर्म मेजर्स हैं, वक्त की जरूरत के अनुसार यह नीड है, लेकिन इस पर एक लांग टर्म पालिसी भी बनानी पड़ेगी और दुनिया तथा देश की सारी चीजों को देखकर बनानी पड़ेगी। यह इंडस्ट्री एग्री बेसड इंडस्ट्री है और मैं मानता हूँ कि हिन्दुस्तान के शुगरकेन फारमर की ही हालत दूसरे किसानों से थोड़ी ठीक और बेहतर है, लेकिन पिछले पांच-सात साल से इसमें क्राइसिस बढ़ा है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता।

बहुत से सवाल ऐसे पूछे गए हैं, जिन पर यदि मैं गया तो बहुत समय लगेगा। मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो संकट है, उस संकट पर जो माननीय अदालत ने फैसला दिया है, उसको सुप्रीम कोर्ट में लाए हैं, उस फैसले के बावजूद भी हम हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठे हैं, रास्ता निकाल रहे हैं, 54 मिलें हमने खुलवाई हैं और ईस्टर्न यू.पी. की बाकी मिलें, जहां पिसई की तारीख ही 15 दिसम्बर है, उनमें हम कोशिश कर रहे हैं कि वे 10 तारीख तक खुल जाएं। निश्चित तौर पर इस उद्योग में देशभर में एक रिसेशन आया है और यह पूरे देश का सवाल है, देश के इस सवाल को हल करने के लिए हमने जो तात्कालिक कदम उठाए हैं, वे मैंने आपको बताए और लांग टर्म में कैसे इस इंडस्ट्री को, इस उद्योग को बचाया जाए, इसके लिए एक पालिसी बनाई जाएगी और हम उस पालिसी को लेकर आपके सामने आएंगे। मैं आपके माध्यम से सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस सवाल पर सरकार बहुत गंभीर है।

श्री सभापति : मैं आपसे एक विश्वास चाहता हूँ कि आज के बाद किसी किसान को गन्ने को जलाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा।

श्री शरद यादव : सभापति जी, ...(व्यवधान)...

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक : सभापति जी,

श्री सभापति : आपकी बात हो गई, अब एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। मंत्री जी ने रेश्योरेस दिया है ...(व्यवधान)...

श्री रमा शंकर कौशिक : सभापति जी, मैं सिर्फ एक ही बात जानना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कौन गया है सर्वोच्च न्यायालय में? उत्तर प्रदेश की सरकार गई नहीं है अभी तक। उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं गई है अभी तक, यह मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के लिए 45 मिनट के लिए स्थगित की जाती है ।

The House then adjourned for lunch at twenty-five minutes past one of the clock.

The House re-assembled after lunch at fourteen minutes past two of the clock, THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

**STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROV OF THE DELHI
METRO RAILWAY (OPERATION AND MAINTENANCE) ORDINANCE,
2002**

AND

**THE DELHI METRO RAILWAY (OPERATION AND MAINTENANCE)
BILL, 2002**

THE DEPUTY CHAIRMAN: We will now take up the Statutory Resolution disapproving the Delhi Metro Railwa (Operation and Maintenance) Ordinance, 2002, by Shri Pranab Mukherjee, and the Delhi Metro (Operation and Maintenance) Bill, 2002, together.

SHRI PRANAB MUKHERJEE (West Bengal): Madam, I move:

"That this House disapproves the Delhi Metro Railway (Operation and Maintenance) Ordinance, 2002 (No. 7 of 2002)) promulgated by the President on the 29th October, 2002."

Madam, Deputy Chairperson, at the very outset, I would like to make it quite clear that we are not obstructing, or, we are not going to reject this Bill by disapproving it. But, we want to register our protest because this Legislation has been brought through the Ordinance route. Madam, you are fully aware that under Article 123 of the Constitution, the President or the Executive is vested with the power to promulgate Ordinances during the recess period of Parliament. What is the basic objective of this power given to the Executive? The basic objective is to ensure that the work of the Executive does not come to a standstill, when Parliament is not in Session. Therefore, during the interregnum period, the Executive is vested with law-making authority. Otherwise, it is the exclusive domain of the Parliament to make laws. But certain exigencies might arise during the interregnum period, that is, when Parliament is not in Session. At that time, the Executive, can exercise its Ordinance-making authority.